# ikuh j ikuh] dlh rjh dgkuh

पिछले डेढ़ दशक से दिल्ली को विश्व स्तरीय एवम् हरित शहर बनाने की सनक हावी हो रही है। जिसके चलते लगभग 70% मेहनतकश मज़दूर जो की ज्यादातर झुग्गियों में रहते थे, उन्हें बेहतर सुविधा एवम् पुनर्विकास के नाम पर शहर से बाहर फेंक दिया गया। अगर आज इनकी स्थिति को देखें तो स्थिति सुधरने की बजाए बद–से–बदतर होती जा रही है। जिन बस्तियों या झुग्गियों का पुनर्वास बेहतर सुविधाओं के नाम पर किया गया था, वहां आज भी किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं दी गई हैं। चाहे हम बात सड़क की करें या आवास की, या फिर रोज़गार, बिजली पानी की। मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने को लेकर कई कानून बनाए जा चुके हैं।

हमारे संविधान की धारा 21 **जीने के अधिकार** के तहत् "सम्पूर्ण एवम् सम्मानजनक तरीके से" जीवन जीने के अधिकार की बात करती है। जिसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत सभी को होती है चाहे अमीर हो या गरीब। जीने के अधिकार के तहत् सबसे ज़रूरी चीजें रोटी–कपड़ा और मकान के अलावा पानी भी एक बहुत ही ज़रूरी तत्व हैं। बल्कि अपनी उपयोगिता और आवश्यकता के मामले में सबसे ज्यादा ज़रूरी तत्व है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली में पानी को लेकर एक अलग ही खेल चल रहा है और वह है – पानी की आपूर्ति का काम धीरे–धीरे निजी हाथों में सौंपना। इसी मुहीम के तहत् शहर में पुनर्वासित कॉलोनियों एवम् अन्य इलाकों में वाटर ए.टी.एम. लगाने की शुरूआत हो चुकी है जैसे सावदा घेवरा, द्वारका आदि। दिल्ली जल बोर्ड ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत अहमदाबाद की एक निजी कंपनी 'सर्वजल' को शहर में वाटर ए.टी.एम. लगाने का ठेका दिया है। सावदा घेवरा में भी कुछ यही हाल है। यह कंपनी लोगों को 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पीने का पानी बेच रही है। क्या यह लोगों को, खास तौर पर मज़दूर वर्ग जो इन पुनर्वासित कॉलोनियों में रहते हैं, उनके हित में है ? जब सावदा घेवरा (जो कि एक पुनर्वासित कॉलोनी हैं) के लोगों से बात की गई तब लगभग 70% लोगों ने पीने के पानी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च पर अपनी असमर्थता जताई।

पुनर्वासित कॉलोनियों में पानी जैसी मूलभूत ज़रूरत, लोगों तक पहुँचाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) जिम्मेदार हैं। अगर वे अपना काम ना करके किसी निजी हाथों में इसकी जिम्मेदारी सौंप दें तो सवाल यह उठता है कि पानी जैसी मूलभूत ज़रूरत का भी अगर निजीकरण किया गया तो हाशिये पर खड़े शहरी गरीबों का क्या होगा ? क्या उन्हें अपना हक मिल पायेगा या वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगें। वहीं दूसरी ओर अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी माफिया सक्रिय हैं जो मुफ्त के पानी को भी बेच रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ? ऐसी दोहरी नीतियां सिर्फ आम लोगों के लिए ही क्यों ?

देश के कई शहरों में भी पानी की समस्या देखने एवम् सुनने को मिलती रहती है। हर जगह मज़दूर वर्ग ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के अधिकारों से वंचित रहता है। इन्हीं सब अधिकारों के हनन को देखते हुए 15 दिसम्बर 2015 को मा. मुम्बई उच्चन्यालय ने अपने एक आदेश में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) को एक ऐसी नीति बनाने को कहा जिसके तहत अवैध झुग्गियों एवम् अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की जा सके।

दिल्ली जल बोर्ड के नियमानुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 270 लीटर पानी मिलना चाहिए एवम् WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन) के अनुसार एक आदमी को दिनभर में औसतन 2.5–3 लीटर पीने के पानी की ज़रूरत होती है। और जो लोग ज्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं उन्हें लगभग 5 लीटर प्रतिदिन पीने का पानी चाहिए। अगर हम इस आंकड़े की मानें तो एक परिवार जिसमें 5 लोग हो, उस परिवार को एक दिन में लगभग 8 रूपये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी पर खर्च करना होगा, यानी महीने में कम से कम 240 रूपये। सावदा घेवरा की 50 हजार आबादी में, लगभग 60% लोग अस्थाई रूप से 10–12 घंटे मज़दूरी करके मुश्किल से महीने में 5,000 रूपये कमा पाते हैं, क्या यह लोग महीने में 240–250 रूपये सिर्फ पीने के पानी पर खर्च कर पायेंगे ? दिनभर के अन्य कामों के लिए पानी कहां से आयेगा ? दिल्ली जल बोर्ड को 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी लोगों को मुहैया करवाना चाहिए था, मगर वहीं पानी PPP के तहत 15 गुना ज्यादा दाम पर लोगों को दिया जा रहा है, इसके लिए कौन

ज़िम्मेदार हैं ? PPP से किसका फ़ायदा हो रहा है – सरकार का, जनता का या फिर किसी निजी कंपनी का। यह थोड़ा सोचने का विषय है ?

दिल्ली की जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 67 लाख थी, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड यह कहती थी कि हमको पीने का पानी अन्य स्रोतों से (यमुना नदी से 310, गंगा नदी से 240, भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड से 140 और भू–गर्भ जल से 115 मिलियन गैलन प्रतिदिन) कुल मिलाकर 805 मिलियन गैलन प्रतिदिन उपलब्ध होता है। 805 मिलियन गैलन यानि लगभग 3 लाख 66 हजार लीटर (1 गैलन = 4.546 लीटर), आबादी के साथ भाग करने पर लगभग 218 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अभी उपलब्ध है लेकिन किसको कितना मिल रहा है ?

अगर पानी जैसे महत्वपूर्ण तत्त्व के निजीकरण को अभी नहीं रोका गया तो जैसा हम लोगों ने दूसरी चीजों के निजीकरण के परिणाम देखे हैं शायद कुछ उसी प्रकार के परिणाम या उससे और ख़तरनाक भविष्य में देखने को मिल सकता है। जिन सुविधाओं जैसे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इत्यादि का निजीकरण किया गया, वह शहरी गरीबों की पहुँच से दूर होती चली गई। अफसोस व दुःख की बात है जहाँ शहर की मेहनतकश गरीब जनता रहती है और जहाँ लोगों का सरकार ने पुनर्वास किया है, बसाया है वहाँ पीने का पानी भी नहीं हैं। लोग प्रदूषित भूजल पीने को मजबूर हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

'सर्वजल' जैसी सुविधाओं का सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग होना चाहिए, जहां पर मुसाफिरों को मज़बूरी में प्यास बुझाने के लिए 20 रूपये की बोतल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिन पुनर्वास बस्तियों में निजी कंपनियां पीने का पानी बेच रहीं हैं, क्या वहां दिल्ली जल बोर्ड खुद यह काम नहीं कर सकतीं ? पानी जैसी मूलभूत सुविधा, जो हर नागरिक को उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य हैं, उसका निजीकरण कहाँ तक उचित होगा ?

**साझा मंच, C/o 92 एच, तृतीय तल, प्रताप मार्केट, मुनीरका, नई दिल्ली – 110067, फोन : 011 –26187806, 26714244, ईमेल : sajha.manch@gmail.com**